

फर्द अहकाम




(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा

दिनेश चौधरी बनाम ओमप्रकाश

किस्म मुकदमा दावा 188 आर.टी.ए.

मु० नं०..... 1/229 सन-2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.12.2024	<p>दावा वकील वादी श्री विशम्भर दयाल गुप्ता, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ने रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 15.01.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा </p> <p>9.1.25</p> <p>वादी के प्रा.पत्र पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वादी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत कर वाह आगे नहीं चलाने वाले इसी तरह पर ब्राह्मि होने का कथन किया। वादी के हस्ताक्षर अभाव में।</p> <p>अतः वाह वादी हस्त संज्ञा वादी ब्राह्मि किया जाता है। पत्रावली फौजदारी होकर बन्धन से रहने वाली वाह पूर्ति जमा लेख अन्तर्गत है।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर) राज० </p>	<p style="text-align: center;">  </p>